संख्या-507 /2024 /1515/2024/27-2002-36-2024-2

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ए0आई0बी0पी0 पोषित (केन्द्र पोषित) मद के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित बी-गैप तटबंध पर स्पर सं0-13 के क्षतिग्रस्त एप्रन की पुर्नस्थापना व स्पर सं0-13 के डाऊनस्ट्रीम में पुराने टेट्रापोड से 110 मी0 लम्बाई तक टेट्रापोड लगाने के कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-1362/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0/ दिनांक 08-08-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद् चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित) (के. 100/रा0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) में से रू 7,35,00,000.00 (रूपये सात करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

संगठन/मण्डल/खण्ड	मु0अभि0 (गण्डक) गोरखपुर/गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर/सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज										
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध /पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन (a) /क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94- 4711- 01- 103- 01- 03- 24 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित)											
1	नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित बी-गैप तटबंध पर स्पर सं0-13 के क्षतिग्रस्त एप्रन की पुर्नस्थापना व स्परसं0-13 के डाऊन स्ट्रीम में पुराने टेट्रापोड से 110 मी0 लम्बाई तक टेट्रापोड लगाने के कार्य की परियोजना। (Latitude:-27°25'02"N, 27°24'59"N, Longitude:83°51'31"E, 83°51'31'E)	94-4711-01-103-01-03-24 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित)	462.01	37/2024/141/2024/27-2002-3-2024-पार्ट-1-सिं-2, दिनांक-20.02.2024 एवं संख्या-363/ 2024/ 808/2024/27-2002-36-20242, दिनांक 27-06-2024	1537.69 (जी0 एफ0 सी0 सी0 से अनुमोदित/संशोधित लागत, पूर्व में स्वीकृत लागत रू0 1540.02 लाख थी) / 1140.16	1356.80	180.89	616.01/ 616.01	740.79	94-4711-01-103-01-03-24	735.00

(रूपये सात करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in/go

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या:- 37/2024/141/2024/27-2002-3-2024-पार्ट-1-सिं-2, दिनांक-20.02.2024 एवं संख्या-363/ 2024/ 808/2024/27-2002-36-20242, दिनांक 27-06-2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 लेखाशीर्षक 4711- बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित) (के. 100/रा0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू 7,35,00,000.00 (रूपये सात करोड़ पैंतीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024 -25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711011030103 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित) (के. 100/रा0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/go

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।